पत्रांक 1/प्रा0आ0(2)–24/2006 1660/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना–15, दिनांक– 25/4/16

विषयः **राज्य में वर्त्तमान में हो रहे अग्निकांड के मद्देनजर आमजनों को निदेशित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान में राज्य के अनेक हिस्सों से अग्निकांड की घटना बड़े पैमाने पर प्रतिवेदित हो रही है एवं जान–माल तथा फसलों एवं गृह क्षति का नुकसान हो रहा है। विभाग के द्वारा पूर्व में भी अग्निकांड के रोक–थाम हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे, परन्तु अग्निकांड की घटना में कमी नहीं आ रही है।

सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न निदेशों को दृढ़तापूर्वक लागू किया जाएः–

i. सुवह 9.00 बजे के पहले खाना बना लिया जाए।
ii. पूजा–पाठ हेतु किए जाने वाले हवन अनुष्ठान को सुवह 9.00 बजे के पहले सम्पन्न कर लिया जाए।
iii. खेतो में गेहूँ काटने पर बचे डंठल को नहीं जलाया जाए।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का सख्तीपूर्वक अनुपालन करवाया जाए। इन निदेशों का उल्लंघन करने पर अग्निकांड की घटना होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय x की धारा 51 (b) के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1660/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/4/16.

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1660/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/4/16.

प्रतिलिपिः माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

D:\2016\Agni 25.04.2016.docx